7+0+9 वादी एवं वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित।
वादी एवं वादी के अधिवक्ता को बार-बार
कम-कम कर आवाज दिलवायी गई परन्तु
अदालत में कोई भी उपस्थित नहीं हुये है।
अतः वादी का वाद अदम पैरवी एवं अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण
के साथ हुआ प्रेम जमा को समय
उपरान्त एकमिल प्रविष्ठ लेख मंजूर हो।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushkar Kumar Mittal
Date: 2019.11.13 17:36:43 IST
Reason: SelfAttested